न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 265/2019   दायर दिनाँक 21.11.2019

वादी		प्रतिवादी
1. सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी मडाम तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 **L.R. Act.**

उपस्थितः—

1. श्री भैरूसिंह वकील वादी।

दिनाँक 18.02.2021

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खसरा सं० 74 रकबा 12.09 बीघा, खसरा सं० 192 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं० 202 रकबा 12.13 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 46.17 बीघा वाके सरहद मडाम में स्थित है। इन खसरानों की खातेदारी में रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह से संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम दर्ज है। नकल खतोनी दावा के साथ पेश है।

उपरोक्त खसरान की भूमि वादी उसके कुटुम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो पहले वादी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में अंकित रही। पूर्वजों के फौत होने पर उनके जायज उत्तराधिकारी व वारिशान के नाम जरिये फोतगी नागान्तरकरण के खातेदारी में अंकित हुई। वादी का वास्तविक नाम सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी मडाम है। वादी के मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में भी वादी का नाम सतपालसिंह पुत्र भागीरथ सिंह ही है। सरपंच ग्राम पंचायत कलवानी का प्रमाण पत्र वाद के साथ संलग्न है।

रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित हुआ है इस नाम का कोई व्यक्ति न तो पहले ग्राम मडाम में थ और न वर्तमान में है। यह नाम वादी के नाम के बजाय कतई गलत अंकित हुआ है। इससे वादी के जायज अ[illegible] गलत अंकित नाम को दुरूस्त करवा कर अपना सही नाम खाते[illegible] में [illegible] कराने का कानूनी तौर पर हकदार है। अतः [illegible] करना [illegible] हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि [illegible] 74 रकबा 12.09 बीघा, खसरा सं० 19[illegible] सं० 202 रकबा 12.13 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 46.17 बीघा में वादी का नाम रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह अंकित करवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.02.22 15:16:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 265/2019
दायर दिनाँक 21.11.2019 निर्णय दिनाँक 18.02.2021
सतपालसिंह बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

साक्ष्य वादी में वादी के भाई गजेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह व दातार सिंह पुत्र भागीरथ सिंह के शपथ पत्र पेश हुए। शपथ पत्र में दिये गये बयानों अनुसार मेरे भाई सतपालसिंह के अलावा इस नाम से उक्त खसरान में व मेरे परिवार कुटुम्ब में इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे भाई का वास्तविक नाम सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह राजपूत निवासी मडाम है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। ग्राम मडाम के खसरा सं0 74 रकबा 12.09 बीघा, खसरा सं0 192 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं0 202 रकबा 12.13 बीघा जो खातेदारी रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह कौम राजपूत जो शामलाती खातेदारी में दर्ज है। गांव में पूछताछ करने पर बताया गया कि रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह जो सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जो एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह नाम दर्ज है। जो सही है। अतः रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद मडाम के खसरा सं0 74 रकबा 12.09 बीघा, खसरा सं0 192 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं0 202 रकबा 12.13 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 46.17 बीघा में सहखातेदारी में दर्ज वादी का नाम रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 18.02.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.02.22 16:16:54 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 265/2019 दायर दिनॉक 21.11.2019

वादी		प्रतिवादी
1. सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी मडाम तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनॉक 18.02.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरोसिंह वकील वादी, की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद वाके सरहद मडाम के खसरा सं0 74 रकबा 12.09 बीघा, खसरा सं0 192 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं0 202 रकबा 12.13 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 46.17 बीघा में सहखातेदारी में दर्ज वादी का नाम रूघसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर सतपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.02.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे किसी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज होना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.02.22 15:16:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner